न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 124 / 2021 प्रार्थनापत्र

1. श्रीमती मिनाक्षी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र मारू आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मोती लाल पुत्र श्री रंगलाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती रूकमण देवी पत्नी श्री रामचन्द्र शर्मा आयु वयस्क निवासी– डेलास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल शर्मा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री पवन शर्मा ––अधिवक्ता वि.सं. 1 एवं 2

:: निर्णय :: दिनांक– 07 / 03 / 2022

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1716 मे आराजी नम्बर 9386 / 2200 रकबा 0.4443 हैक्टयर प्रार्थीया संख्या 01 के नाम पर व खाता संख्या 2188 मे आराजी नम्बर 9387 / 2200 रकबा 0.1707 हैक्टयर प्रार्थीगण के खातेदार काश्तकार होने का कथन करते हुए उक्त आराजीयात पर आने जाने रास्ता जो एकमात्र रास्ता जो देवगढ़–भीलवाड़ा आम रोड़ से विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 2204, 2202, 2201 की पूर्वी मेड के सहारे होकर आते जाते है, प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 की सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2204, 2202, 2201 से 30 फीट चौडाई का रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे मे दर्ज करने की आज्ञा फरमावे।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर विपक्षीगण को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये व विपक्षीगण की तामिल जरिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी के करवायी गयी। विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी संख्या 01 एवं 02 द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया गया। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 द्वारा उक्त आराजी के संबध मे पूर्व प्रकरण संख्या 568 / 2013 राजस्व प्रार्थनापत्र एवं 587 / 2016 राजस्व प्रार्थनापत्र का निर्णय होने से व चाहा गया रास्ता औद्योगिक प्रयोजनार्थ होने से प्रकरण को खारीज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस [illegible] तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट का प्रकरण की विषयवस्तु का अवलोकन [illegible] विपक्षीगण द्वारा जो उजर उठाये गये कि चाहा गया रास्ता औद्योगिक [illegible] प्रकरण जिस आराजी के संबध मे रास्ता चाहा गया है, जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ नही है एवं जिन प्रकरणो के खारिज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

का उजर उठाया गया है, जिनके पक्षकार भी अलग अलग है। इसलिए विपक्षीगण के उक्त तर्क विधि सम्मत नही है व साथ ही प्रकरण के प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04/09/2021 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 9386/2200 रकबा 0.4443 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 9387/2200 रकबा 0.1707 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 2204, 2202, 2201 विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। प्रार्थीगण के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 2201, 2202 की पूर्वी मेड के सहारे एंव विपक्षी संख्या 01 की आराजी नमबर 2204 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे दो गटटा चौडा रास्ता यानि आराजी नम्बर 2201 मे से 0.0190 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2202 मे से 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2204 मे से 0.0126 हैक्टयर कुल 0.0569 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य की कृषि भूमि डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षीगण को देय है, प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। इस हेतु पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री अनुसार विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की भूमि मे से रास्ते की भूमि हेतु रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 2201, 2202 की पूर्वी मेड के सहारे एंव विपक्षी संख्या 01 की आराजी नमबर 2204 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे दो गटटा चौडा रास्ता यानि आराजी नम्बर 2201 मे से 0.0190 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2202 मे से 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2204 मे से 0.0126 हैक्टयर कुल 0.0569 हैक्टयर भूमि का रास्ता प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 9386/2200 एवं 9387/2200 पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:34:28 IST
Reason: SelfAttested